विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तरालेख

प्रश्न	**उत्तर**
10(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय वजीरगंज लखनऊ मे कितने उचित दर विक्रेताओं के पास शासनादेश के अन्तर्गत 4000 यूनिट से अधिक राशन राशन कार्ड है?	जिलाधिकारी,लखनऊ की आख्यानुसार क्षेत्रीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय वजीरगंज के अंतर्गत संचालित उचित दर विक्रेताओं में से कुल 05 उचित दर विक्रेताओं के यहां 4000 यूनिट से अधिक राशन राशन कार्ड सम्बद्ध है,जिनका विवरण निम्नवत है:- (1) श्री अशोक कुमार मेहरोत्रा-5363 यूनिट (2) श्री रामशंकर मौर्या-4973 यूनिट (3)श्री राजेश कुमार-4820 यूनिट (4) मे0 वजीरगंज वार्ड उप0समिति-4144 यूनिट (5) श्री आसिफ हुसैन-4058 4058 यूनिट
(ख) क्या इनकी जाँच कराकर अधिक यूनिट को काटकर जिन उचित दर विक्रेताओं के पास कम यूनिट के राशन कार्ड है, उन्हे आवंटित करायेंगे ?	शासनादेश संख्या-7/2019/1359/29-6-2019-162सा0/2001 दिनांक-05 अगस्त,2019 में यह व्यवस्था है कि नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक उचित दर दुकानों की नियुक्ति 4000 यूनिट पर की जाए। यदि 4000 यूनिट से अधिक हो तो एक से अधिक दुकान नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। 4000 से अधिक यूनिट होने पर अतिरिक्त दुकान सृजित किये जाते समय इस तथ्य का ध्यान रखा जायेगा कि अतिरिक्त तौर पर सृजित दुकान व मूल दुकान में परस्पर यूनिटों की संख्या यथा सम्भव समान रहे ताकि दुकान की आर्थिक व्यवहार्यता बनी रहे। खाद्य क्षेत्र वजीरगंज में उपरोक्त आदेशों के क्रम में तथा विक्रेताओं की आर्थिक व्यवहार्यता की अनुकूलता के परिप्रेक्ष्य में उचित दर दुकानें संचालित हैं। अतः अधिक यूनिट को काट कर कम कम यूनिट के विक्रेता को राशनकार्ड आवंटित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी की आख्यानुसार कोई भी राशन कार्ड नियम विरुद्ध सम्मिलित नहीं किए गए हैं।
(ग) यदि हाँ,तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता ।

योगी आदित्यनाथ

मुख्य मंत्री।